

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :-1250/2017 (2017/00212)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

दर्ज दिनांक 04.07.2017

अनवान

घासीराम पिता मोहनलाल गाडरी निवासी सांगास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. मांगी लाल आत्मज चतरुदास बैरागी निवासी मेहन्दी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापूर

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री महेश दाद्रीच
अधिवक्ता विपक्षी: श्री एस0के0जैन
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत इन्द्राज दुरुस्ती ::

निर्णय दिनांक:-29.01.2021

:: निर्णयः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 801 रकबा 0.49 हे0, 802 रकबा 0.02 हे0 स्थित है। जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

इसी प्रकार विपक्षी खातेदार की आराजी संख्या 803 रकबा 0.68 हे0 भूमि स्थित है जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

1.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापूर जिला भीलवाडा (राज.)



यह कि आराजी संख्या 801 रकवा 0.49 हे0 के साविक नम्बर 996 मीन रकवा 2 बीघा 7 बिस्वा है व 802 रकवा 0.02 हे0 के साविक नम्बर 296 मीन है इसी प्रकार आराजी संख्या 803 रकवा 0.68 हे0 के साविक नम्बर 295 रकवा 3 बीघा 3 बिस्वा जिसके लिए मिलान क्षेत्रफल व साविक जमावंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रार्थी की साविक आराजी संख्या 296 रकवा 2 बीघा 7 बिस्वा का प्रार्थी खातेदार काफ्तकार चला आ रहा है दौराने भूप्रबंध साविक आराजी संख्या 296 रकवा 2 बीघा 7 बिस्वा के नये नम्बर 801 व 802 कायम किये जो कुल 0.51 हे0 बनते है दौराने भूप्रबंध प्रार्थी की आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा गत/साविक नक्शे के अनुसार नहीं बना कर छोटा बना दिया है जो 0.02 हे0 कम है प्रार्थी की आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 803 का नक्शा साविक आराजी संख्या 295 के मुकाबले बड़ा बना दिया है। जिसका नक्शा बराबरी करने पर नक्शा 0.70 हे0 का आता है जबकि नक्शा 0.02 हे0 अधिक बना हुआ है यानि कि प्रार्थी का आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा विपक्षी की आराजी संख्या 803 की तरफ 0.02 हे0 अधिक बना दिया है जबकि मौके पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक के मध्य 40 वर्षों से थोरो की बाड़ लगी हुई है जिसे उक्त त्रुटि दौश्रान बन्दोबरत भूप्रबंध अधिकारियों ने की है जो दुरुस्त होने योग्य है। यह कि भूप्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा 0.02 हे0 छोटा बनाया व विपक्षी संख्या एक का नक्शा बड़ा बना दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.02 हे0 बढ़ा कर 0.51 हे0 का पूरा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा 0.02 हे0 छोटा बनाया व विपक्षी संख्या एक का बड़ा बना दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.02 हे0 बढ़ा कर 0.51 हे0 का पूरा किया जाने का आदेश फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2 को स्वीकार किया व चरण संख्या तीन में जंहा तक प्रार्थी की आराजी संख्या 801 के साविक नं0 996 मीन कायम होना अस्वीकार है, अवशेष कथन स्वीकार है। चरण संख्या 4, 5, 6 में अंकित कथन अस्वीकार किया है, चरण संख्या 7 व 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी परोकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार अंकन करने से जवाब जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त

सहायक कलेक्टर
(विपक्षी अधिकारी)
गंगापुर जिला सहाड़ा (राज.)

प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किये जाने सपर प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई जो इस प्रकार है:-
मौके अनुसार राजस्व ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 801 रकबा 0.49 हे0, 802 रकबा 0.02 हे0 किता 02 कुल रकबा 0.51 हे0 दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर सीमाज्ञान से उक्त रकबा बराबर है। राजस्व नक्शे की रकबा वरारी करने पर रकबा कम आता है। ग्राम सांगास की आराजी नं0 803 रकबा 0.68 हे0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड अनुसार रकबा वरारी करने पर रकबा अधिक आता है। मौके पर स्थित आराजी नं0 803 पर सीमाज्ञान से रकबा 0.68 हे0 पर ही थोहर बाड़ लगी हुई है। मौका अनुसार आराजी नं0 803 की उत्तरी मेड़ 60 मी0 एवं दक्षिणी मेड़ा 82 मीटर पर ही स्थित है एवं लम्बाई 96 मी0 पर स्थित है। जिसकी मौका स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में दर्शाया है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। एवं विपक्षी संख्या एक के अधिवक्ता पने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बाद बहस में प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके अनुसार राजस्व ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 801 रकबा 0.49 हे0, 802 रकबा 0.02 हे0 किता 02 कुल रकबा 0.51 हे0 दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर सीमाज्ञान से उक्त रकबा बराबर है। राजस्व नक्शे की रकबा वरारी करने पर रकबा कम आता है। जिससे प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.02 हे0 बढ़ा कर 0.51 हे0 का पूरा किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम सांगास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 801 व 802 का नक्शा 0.02 हे0 छोटा बनाया व विपक्षी संख्या एक का बड़ा बना दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.02 हे0 बढ़ा कर 0.51 हे0 का पूरा किया जाने आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



सहायक तहसीलदार
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)